उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-17/2018/2728/37-1-2017-03(5)/2014

लखनऊः दिनांक 25 जनवरी, 2018

<u>कार्यालय आदेश</u>

डा0 वरूण दत्त स्वामी, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक(पैथो0), आजमगढ़ को पशुधन अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-3430/37-1-2012-9(29)/2012, दिनांक 21-09-2012 द्वारा सहारनपुर से स्थानान्तरित कर संयुक्त निदेशक, तरल नत्रजन बदायूं के पद पर नियुक्त किया गया था। नियंत्रक अधिकारी द्वारा उक्त आदेशों के अनुपालन में डा0 स्वामी को दिनांक 22-10-2012 को संयुक्त निदेशक, तरल नत्रजन, बदायूं के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सहारनपुर से अवमुक्त भी कर दिया गया था, किन्तु डा0 स्वामी द्वारा संयुक्त निदेशक, तरल नत्रजन, बदायूं के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। एक (01) वर्ष बाद दिनांक 21-10-2013 को डा0 स्वामी योगदान देने हेतु संबंधित कार्यालय में उपस्थित हुये, किन्तु प्रभार प्रमाण-पत्र पर न तो हस्ताक्षर किया गया और न ही संयुक्त निदेशक तरल नत्रजन, बदायूं का पदभार ग्रहण किया गया।

2- उक्त के दृष्टिगत संयुक्त निदेशक तरल नत्रजन, बदायूं के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने एवं अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिये पशुधन अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-790/37-1-2014-3(5)/2014, दिनांक 25-02-2014 द्वारा डा0 वरूण दत्त स्वामी को निलंबित करते हुये उनके विरूद्व कार्यालय आदेश संख्या-290/37-1-2014-3(5)/2014, दिनांक 25-02-2014 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालनार्थ वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग को जांच अधिकारी नामित किया गया।

3- डा0 स्वामी के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही की जांच आख्या, जांच अधिकारी/वित्त नियंत्रक द्वारा अपने पत्र संख्या-402/आशुलि/वि0नि0/2016, दिनांक 02-06-2016 के माध्यम से प्रस्तुत की गयी। जांच में डा0 स्वामी के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही में लगाये गये आरोप को सिद्व पाया गया। उक्त सिद्व पाये गये आरोप के दृष्टिगत पशुधन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1552/37-1-2016-3(5)/2014, दिनांक 13-06-2016 द्वारा डा0 स्वामी का अभ्यावेदन मांगा गया। डा0 स्वामी द्वारा विहित समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। तदोपरांत जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरांत डा0 स्वामी पर आरोप सिद्व पाया गया। अतः कार्यालय आदेश संख्या-2133/37-1-2016-3(5)/2014, दिनांक 05-08-2016 द्वारा सिद्व पाये गये आरोप के लिये डा0 वरूण दत्त स्वामी को परिनिन्दा का दण्ड देते हुये उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त करने तथा उन्हें सेवा में बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। अग्रेतर शासन के पत्र संख्या-2134/37-1-2016-3(5)/2014, दिनांक 05-08-2016 द्वारा डा0 स्वामी के निलंबन अवधि के वेतन भत्तों को जीवन निर्वाह भत्ते की सीमा तक सीमित रखे जाने के संबध में नोटिस निर्गत किया गया।

4- उक्त नोटिस के क्रम में डा0 स्वामी का पत्र दिनांक 30-6-2017 में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा मांगे गये अभ्यावेदन के संबंध में संयुक्त निदेशक, प्रशासन को 44 पृष्ठों का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://ShasnaDesh.up.nic.com

पत्र दिनांक 26-7-2016 को प्रस्तुत कर दिया गया था, तथा उक्त अभ्यावेदन में उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि उनके ऊपर लगाये गये सम्पूर्ण आरोप झूठे हैं, व प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें सक्रिय सेवा से बाहर रखने व सेवा से प्राप्त लाभों से वंचित रखने के लिये झूठे पत्रों को गठित करके आपस में सांठ-गांठ की गयी है और भ्रष्ट अधिकारियों को लाभ पहुंचाया गया है।

5- डा0 वी0डी0 स्वामी के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच आख्या में उल्लेख किया गया है कि डा0 स्वामी द्वारा जानबूझ कर विलंब करते हुये तामील कराये गये आरोप-पत्र का उत्तर ससमय प्रस्तुत नहीं किया गया। डा0 स्वामी द्वारा उत्तर दिये जाने हेतु बार-बार अतिरिक्त समय की मांग की जाती रही। उक्त के अतिरिक्त जांच आख्या में सिद्व पाये गये आरोप के दृष्टिगत मांगे गये अभ्यावेदन को डा0 स्वामी द्वारा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया।

6- अतः अनुशासनिक कार्यवाही में सिद्व पाये गये आरोपों एवं उनको दिये गये दण्ड के दृष्टिगत श्री राज्यपाल, निलंबन अवधि के वेतन एवं भत्तों के संबंध में प्रस्तुत उनके पत्र दिनांक 30-06-2017 पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 वरूण दत्त स्वामी, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक (पैथो0), आजमगढ़ के निलंबन अवधि के वेतन एवं भत्तों को उनके जीवन निर्वाह भत्ते तक सीमित रखने के आदेश प्रदान करते हैं।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या-17/2018/2728(1)/37-1-2018, तददिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2) संयुक्त निदेशक, प्रशासन, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3) वित्त नियन्त्रक, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4) डा0 वरूण दत्त स्वामी, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक(पैथो0), आजमगढ़ द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।
5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।